

14 निम्नलिखित शर्तों के साथ मानचित्र निर्गत किया जा रहा है-

1. ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में सड़क आदि का पानी ड्रेन के माध्यम से मुख्य सड़क (एन0एच012) से पूर्व निर्मित नाले में जोड़ने हेतु नियमानुसार एन0एच0ए0आई0 से अनुमति प्राप्त करके ही डिस्पोजल का कार्य किया जायेगा।
2. योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वयं के हर्जे-खर्चे पर विद्युत विभाग से अनुमति प्राप्त कर विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा।
3. पेयजल व्यवस्था हेतु स्वयं ट्यूबवैल/जलाशय का निर्माण कराया जायेगा।
4. सीवरेज के लिये प्रस्तावित सैप्टिक टैंक/सोल्गपिट आदि की नियमित रख-रखाव का कार्य स्वयं करना होगा।
5. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 के भूखण्डों का आवंटन जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विकसकर्ता के प्रतिनिधि के माध्यम से किया जायेगा।
6. फायर हाइड्रेंट आदि का नियमानुसार प्राविधान कराना होगा।
7. विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये किसी भवन का उपयोग/उपभोग नहीं किया जायेगा।
8. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था प्रस्तावित मानचित्र में दर्शायी गयी है। अध्यासन से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किये जाने के पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

संलग्नक:-

स्वीकृत मानचित्र की प्रति।


सचिव 31/2/17

फिरो-शिको विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद